

नं.

कार्यवाही

हस्ताक्षर/टिप्पणी

नांक/दुक्कम

08-04-2026 पत्रावली पेशा | वकील उमपपत्राकार उप०।
 वरुण हेतु समन चाहा | समन पिया गया।
 पत्रावली वाले अडिडा कपिलेश्वरी मिश्र
 28/4/2026 को पेशा के।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
 मनोहरधामा, जिला झालावाड़ (राज.)

28/4/2026 पत्रावली पेशा | वकील उमपपत्राकार उप०।
 वरुण उमपपत्र सुनी गई। पत्रावली कले
 अडिडा 29/4/2026 में पेशा के।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
 मनोहरधामा, जिला झालावाड़ (राज.)

29/4/2026 पत्रावली पेशा | वकील उमपपत्राकार उप०।
 वरुण द्वारा डाका विवरण प्रतिक्रियागत अंतर्गत
 द्वारा 88, 89, 91, 92A, पेशा डिया गया है। उत्तुत धांधला
 में वरुण द्वारा विवरण प्रतिक्रियागत ताकतल
 भूखण्ड अस्थापि विवेचना चाही गई है।

भूख प्रकें के अधीन के कतुलार वरुण द्वारा
 कले के माथार पर खलेदरि अखिकर हेतु
 राका बिपा है। प्रतिक्रियागत उक्त वाडभरत
 आरुणी के रिपोर्ट खलेदरु है। वरुण का खलेदरु
 रिपोर्ट में कले कोई मक नही है। वरुण द्वारा
 कले के संबंध में भी कोई सख्य पेशा नही
 डिया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला
 वरुण के हक में प्रतीत नही होता है।
 रिपोर्ट खलेदरु के उषी के भूमि पर अस्थापि
 विवेचना से पकड कले पर वरुण वरुण के
 प्रतिक्रिया अखिकर प्रभावित पत्राकार होगा।
 अतः सुविधा का संतुलन की प्रतिक्रिया के
 पत्र में विहित है। जयं तक अयुगीय क्षति का
 प्रदान है, वरुण के पत्र में खेला कोई तथ्य
 नही है, जो अरु सिद्ध करे कि वरुण प्रतिक्रियागत

दिनांक/हुक्म	कार्यवाही	हस्ताक्षर
	<p>के अधीन शी वषिण के होगी । एक रिपोर्ट स्तानेदार के पाठ के अधीन अधीन ज्ञान होगी । अतः यह बिन्दु श्री वषिण के विरुद्ध तय है । अतः प्रार्थना - यह प्रार्थना उपर्युक्त एवों के प्रकाश में शक्ति निमित्त किया जाता है । प्रार्थना श्रीवत कुमार खेर तब से भक्त कर वाउ वक्तव्य शक्ति वक्तव्य है ।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ममोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)</p>